# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 135/2017

1. हरिनारायण पुत्र स्व0 श्री बद्रीनारायण
2. मुकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री बद्रीनारायण
3. विनोद कुमार पुत्र स्व0 श्री बद्रीनारायण
4. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री बद्रीनारायण
5. श्रीमती गुलाब देवी पत्नि स्व0 श्री बद्रीनारायण

समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम नाभावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 10.07.1982 बअदालत तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा आंवटन का नामान्तकरण अस्वीकृत किया गया।

---

निर्णय दिनांकः 25.10.2017

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 10.07.1982 जिससे नामान्तरकरण संख्या 264 ग्राम नाभावाला, तहसील जमवारामगढ स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 137 बीघा 11 बिस्वा किस्म सिवाय चक में से अपीलाण्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता एवं अपीलाण्ट संख्या 5 के पति स्व. श्री ब्रदीनारायण को आवंटित 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण अस्वीकृत किये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.06.2017 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.1982 नामान्तकरण संख्या 264 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अपीलांट संख्या 1 लगायत 4 के पिता एवं अपीलांट संख्या 5 के पति स्व श्री बद्रीनारायण पुत्र रामधन कौम ब्राहम्ण को उनकी पुश्तैनी कब्जा काश्त के आधार पर ग्राम नाभावाला, तहसील जमवारामगढ स्थित

का आवंटन नियमानुसार दिनांक 09.05.1973 को तत्कालीन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण खोलने के आवेदन पर तत्कालीन पटवारी ने अपने पद का दुरूपयोग कर स्वीकार शब्द के आगे अ शब्द जोडकर तत्कालीन तहसीलदार महोदय जमवारामगढ से कैम्प डांगरवाडा में अपीलाधीन नामान्तकरण अस्वीकार करवा दिया। उक्त कार्यवाही नामान्तकरण स्वीकार होने के पश्चात की गई जो प्रथम दृष्टया ही न्यायसंगत नहीं है। तत्कालीन पटवारी ने अपीलांट के पिता को उनके विधिक अधिकारो से महरूम रखने की गरज से एवं अनपढ ग्रामीण परिवेश का होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण अस्वीकार करवा दिया। अपीलाधीन भूमि का आवंटन आदिनांक तक किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है तथा भूमि का आवंटन वर्ष 1973 है जबकि नामान्तकरण की कार्यवाही 1982 में की गई थी। तत्कालीन पटवारी नाभावाला द्वारा आवंटन के पश्चात आवंटी को आवंटित भूमि की किस्म सिवाय चक से खातेदारी/गैर खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी जिसे पटवारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 एवं 2041 से 2044 तक में भी कांट छांट की गई है एवं अपीलाधीन नामान्तकरण में भी बदनीयति से कांट छांट कर नामान्तकरण अस्वीकार किया गया है। अपीलाण्ट्स के पूर्वज अपीलाधीन भूमि पर काबिज काश्त रहे है और उनके देहान्त के बाद अपीलाण्ट्स निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का नामान्तकरण अपीलाण्ट्स के नाम स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ का आदेश 10.07.1982 जिसके द्वारा नामान्करण संख्या 264 को अस्वीकार किया गया को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलान्ट का अपीलाधीन भूमि पर कब्जा नहीं होने एवं आवंटन नियमों की पालना नहीं करने के कारण अस्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा 35 वर्ष के उपरान्त नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत की गई है। प्रा0 पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का संतोषप्रदकारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.07.1982 नियमानुसार एवं विधिसम्मत ही पारित किया गया है। इसलिए अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण के आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 264 ग्राम नाभावाला, तहसील जमवारामगढ के

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)

अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण अपीलाधीन भूमि के अलॉटमेन्ट 09.05.1973 के अनुसार खोला गया लेकिन अपीलाण्ट्स द्वारा अलॉटमेन्ट नियमों की पालना नहीं करने तथा कब्जा काश्त नहीं होने से अस्वीकार किया गया है, तथा अपीलाण्ट के पिता स्व. ब्रदीनारायण पुत्र रामधन के नाम गैर खातेदारी अस्वीकार की गयी है जो विधिसम्मत है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट यह साबित नहीं कर पाये है कि वह वादग्रस्त भूमि पर किस प्रकार से अपना हक व अधिकार रखते है। अपीलांट्स ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का ही कब्जा काश्त है तथा अपीलांट्स आवंटन नियमों की पालना करते है। अपील अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर अपने हक अधिकार के बिन्दु पर कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अपील 35 वर्ष व्यतीत होने पर प्रस्तुत की गई है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा निर्णित अपीलाधीन आदेश 10.07.1982 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 264 अस्वीकार किया गया को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का कोई ठोस आधार नहीं है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अतिरिक्त कलक्टर
कलक्ट्रेट जयपुर

( डा. मोहन लाल यादव )
अति.कलक्टर-प्रथम,
कलक्ट्रेट,जयपुर